


RBE No.153/2019



PCPO's S.No.195/2019

No. E/283/O/ECR/HJP

Dated:- 11.10.2019

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर/हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय : अन्य मंडलों/रेलों को एकतरफा स्थानांतरण संबंधी अनुरोध अग्रेषित करना।

संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.E(NG)I-2019/TR/11 Dated: 20.09.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर-
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded
herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(सौरभ सावण 11/10/19)

वकाधि/ई.एस.एम

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूम.रे./हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पूम.रे./हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.),पूम.रे./हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूम.रे./हाजीपुर।

आर.बी.ई. सं.153/2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)



नई दिल्ली, दिनांक 20.09.2019

सं.ई(एनजी)-2019/टीआर/11

महाप्रबंधक (पी),
सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक सूची के अनुसार)

073460

30 SEP 2019

विषय: अन्य मंडलों/रेलों को एकतरफा स्थानांतरण संबंधी अनुरोध अग्रेषित करना।

बोर्ड के ध्यान में आया है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए कुछ क्षेत्रीय रेलों द्वारा अंतर-रेलवे/अंतर-मंडल हेतु एकतरफा स्थानांतरण संबंधी अनुरोध अग्रेषित किए जा रहे हैं जिसमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर इन कर्मचारियों को कार्य-मुक्त करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को कार्य-मुक्त करने के कारण उनके आसन्न कर्मचारियों में अनावश्यक अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और रेल प्रशासन पर परिहार्य रूप से दबाव बढ़ जाता है।

2. उक्त पर विचार करते हुए रेलों कृपया सुनिश्चित करें कि अब से केवल वही अंतर-रेलवे स्थानांतरण संबंधी अनुरोध अग्रेषित किए जाएं जहां उस रेलवे, जिसमें स्थानांतरण की मांग की गई है, द्वारा स्वीकृति के मामले में कार्य-मुक्त करने की उचित संभावना हो। ऐसा करते समय अन्य रेलों/मंडलों से विभागीय पदोन्नतियों/अंतर-मंडलीय/अंतर-रेलवे स्थानांतरण और आरआरबी मांगपत्रों के जरिए संवर्ग में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाए ताकि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारी को शीघ्र कार्य-मुक्त किया जा सके।

इसे बोर्ड (सदस्य कार्मिक) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

प्रमुकाधि
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज
उप मुकाधि/मा
उप मुकाधि/आईआर
मुकाधि ESM

(एम. के. मीना)

उप निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(एनजी)-2019/टीआर/11

नई दिल्ली, दिनांक 20.09.2019.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, कमरा नं० 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, कमरा नं० 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (80 अतिरिक्त प्रतियां सहित)

Please circulate